

छठवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2022-23



बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
इंॉसी

अनुक्रमणिका

क्रम. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशकों की रिपोर्ट	3
2.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	18
3.	वित्तीय खाते और उनकी टिप्पणियाँ	34
4.	छठवीं वार्षिक आम सभा की सूचना एवं सम्बंधित अनुलग्नक	62
5.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट	72
6.	प्रॉक्सी फॉर्म	73
7.	प्राप्ति रसीद	75
8.	उपस्थिति पर्ची	77

: हिन्दी भाषा में लिखित दस्तावेजों में किसी प्रकार की अस्पष्टता पाई जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही म रूप से मान्य होंगे।

QUESTION

Q. No.	Answer
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...

...

निदेशकों की रिपोर्ट

बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, के सदस्यों के लिए।

निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के संचालन पर छठी वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी ने अपने संचालन के चार साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं क्योंकि कंपनी को 24 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत एक निर्माता कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जो सदस्यों से दुग्ध संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियाँ हेतु किया गया।

I. वित्तीय परिणाम:-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे संक्षेप में दिया गया है: -

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का विवरण
	(राशि लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपये में)
कुल राजस्व	29840.34	16006.08
सामग्री लागत सहित व्यय	28912.76	15217.22
कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)	927.58	788.86
कराधान के लिए प्रावधान	237.49	128.62
कर पश्चात अवधि के लिए लाभ/(हानि)	690.09	660.24
लाभांश	48.63	28.77
लाभ सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	641.46	631.47

II. कंपनी के मामलों की स्थिति:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिचालन से कुल राजस्व बढ़कर 29840.34 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 16006.08 लाख था, जिसमें 86% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल खर्च 28912.76 लाख है, जो पिछले साल 15217.22 लाख था।

कर पश्चात लाभ बढ़कर 690.09 लाख हो गया है, जो पिछले वर्ष 660.24 लाख था।

III. लाभांश

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये मूल्य के 607888 इक्विटी शेयरों पर 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से सीमित रिटर्न (लाभांश) की सिफारिश करते हुए खुशी हो रही है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश छठी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") में सदस्यों का अनुमोदन अधीन है। सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया

जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं। यदि अनुमोदित हो जाता है, तो लाभार्थ के परिणामस्वरूप 48.63 लाख रुपये का नकद बहिर्वाह होगा।

IV. सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े गए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में जनरल रिजर्व के क्रेडिट में 641.46 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

V. संचालन की समीक्षा:-

1. दूध संकलन:

कंपनी वित्तीय वर्ष के दौरान का दूध संकलन का कार्य सात जिलों झाँसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर और महोबा में कर रही है। 31 मार्च 2023 तक 13 बीएमसी/एमसीसी स्थानों के अंतर्गत 966 एमपीपी स्थापित करके संपूर्ण संचालन 966 गांवों में फैला हुआ है। उत्पादकों के जबरदस्त समर्थन ने कंपनी को शीघ्रता से नए दूध प्लिंग पॉइंट और नए उत्पादक सदस्यों को जोड़ने में सक्षम बनाया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने महोबा जिले में अपने परिचालन का विस्तार किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रतिदिन औसतन 139360 किलोग्राम के हिसाब से लगभग 509 लाख किलोग्राम कच्चा दूध संकलन किया है। वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी ने 53400 सदस्यों को नामांकित किया था। वर्ष के दौरान कुल नामांकित सदस्यों में से 49035 सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है।

कंपनी ने सदस्यों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करते हुए उन सदस्यों को 191.06 लाख रुपये का वफादारी प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया और व्यवसाय में नियमित रूप से योगदान दिया।

दूध खरीद कीमतों के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को दूध आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी दरों की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में सुधार और लागत में कटौती करके उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके द्वारा उठाए गए कुछ उपायों में लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण करना शामिल है।

2. गुणवत्ता आश्वासन:

गुणवत्ता आश्वासन ने सभी बीएमसी/एमसीसी में गुणवत्ता प्रणाली और परीक्षण योजनाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपयोग में आने वाले सभी बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी) कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। हम दूध का परीक्षण करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वॉटर बाथ, वॉर्टेक्स शेकर्स, ओवन, बीआर मीटर और रेफ्रिजरेटर आदि का उपयोग करते हैं। हम दुग्ध उत्पादकों को ग्रामीण स्तर पर भी स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करते हैं। किसानों से एमपीपी तक और वहां से थोक दूध शीतलन केंद्रों (बीएमसी)/एमसीसी तक दूध एकत्र करने और भेजने के लिए हमारे पास मानक संचालन प्रक्रियाएं

(एसओपी) हैं। हम अच्छी गुणवत्ता वाला दूध प्राप्त करने के लिए सहायकों और फील्ड स्टाफ को भी प्रशिक्षित करते हैं।

हमने रिसेविंग प्लांट में 2022-23 में 70 मिनट का औसत एमबीआरटी हासिल कर लिया है।

कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने दूध की गुणवत्ता से संबंधित बीएमसी और क्रॉस-फ़ंक्शनल टीम के सदस्यों को स्वच्छ के संबंध में उनके ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने और परिचित करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और लगातार प्रदान कर रही है।

3. उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ:

a. कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ:

कंपनी दुधारु पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दूध उत्पादन की लागत को कम करने, मवेशियों की नस्ल सुधारना और अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए किसानों के दरवाजे पर शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करके मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAIT) के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं प्रदान कर रही है।

AI सतत पशुधन विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बेहतर प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यह पहल कृषि समुदाय के समय विकास और स्थिरता में योगदान देती है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में, कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से पशुधन प्रजनन और स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की:

- **कृत्रिम गर्भाधान:** उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले वीर्य खुराक के साथ कुल 25,271 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इस उन्नत प्रजनन तकनीक ने सदस्यों को बेहतर आनुवंशिकी तक पहुंचने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप पशुधन उत्पादकता में सुधार हुआ।

- **प्रशिक्षण:** कंपनी ने कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए 13 मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (एमएआईटी) को प्रशिक्षित किया। इन तकनीशियनों ने प्रजनन प्रक्रिया के दौरान सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

b. राशन संतुलन कार्यक्रम (RBP):

कंपनी के परिचालन क्षेत्र में, निर्माता पुरानी भोजन पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। मवेशियों की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनी ने राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत दूध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार बनायें जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, पशु स्वास्थ्य में सुधार होगा और दूध उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

RBP सेवाओं के परिणामस्वरूप, लोगों को पशु आहार और खनिज मिश्रण के उपयोग के बारे में जागरूकता मिली जिसके परिणामस्वरूप दूध की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 20468 नए मवेशियों को राशन संतुलन कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

c. पशु आहार:

अपने उत्पादक सदस्यों को समर्थन और सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, कंपनी उच्च गुणवत्ता वाला पशु चारा उपलब्ध कराना जारी रखती है, जिसे सदस्यों के स्वामित्व वाले पशुधन की भलाई और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दूध उत्पादन में सुधार होगा। सदस्य की आय बढ़ाने के लिए।

कंपनी " बलिनी गोल्ड" ब्रांड नाम के तहत "यूरिया मुक्त" संतुलित मिश्रित पशु आहार (बीआईएस टाइप II) प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 2160 मीट्रिक टन पशुचारा उपलब्ध कराया।

d. सीएमटी (कैलिफ़ोर्निया मास्टिटिस परीक्षण):

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण, दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने दुधारू पशुओं के लिए 10475 सीएमटी (कैलिफ़ोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित किए। कुल 1019 मास्टिटिस के सकारात्मक मामलों का पता लगाया गया और उन्हें ठीक किया गया।

इसके साथ ही, कंपनी ने सदस्यों के साथ उन्नत गुणवत्ता वाले हरे चारे और पशुओं में बीमारियों की शीघ्र रोकथाम के लिए घरेलू उपचार को बढ़ावा देने के लिए "एथनो वेटरनरी वाटिका" के निर्माण की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए हैं।

e. खनिज मिश्रण:

कंपनी ने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कंपनी के ब्रांड नाम "BALINEE MIN" में खनिज मिश्रण विकसित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 23.96 मेट्रिक टन खनिज मिश्रण बेचा।

4. निर्माता संस्थान भवन (पीआईबी):

प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (पीआईबी) उन संस्थानों को बनाने और मजबूत करने की एक प्रक्रिया है जिनका स्वामित्व और प्रबंधन उत्पादकों के पास होता है। पीआईबी का लक्ष्य अपने सदस्यों की जागरूकता, भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ाकर निर्माता संस्थानों के प्रशासन, प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार करना है।

पीआईबी का उद्देश्य अपने सदस्यों के ज्ञान, भागीदारी और शक्ति को बढ़ाकर संगठन को बेहतर ढंग से प्रबंधित, अधिक कुशल और अधिक स्थायी बनाना है। पीआईबी पारदर्शी और निष्पक्ष प्रबंधन प्रणाली के जरिए और सदस्यों को कंपनी की सेवाओं से कितना लाभ मिलता है, इसके आधार पर योगदान करने की आवश्यकता के द्वारा निर्माता कंपनी को अन्य डेयरी उद्यमों से खुद को अलग करने में मदद करता है।

एमपीसी के मुख्य डिज़ाइन सिद्धांत:

- व्यापारिक व्यवहार केवल सदस्यों तक ही सीमित था।
- सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान समान शेयर पूंजी योगदान पूरा कर लिया है।

• ग्राम स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उचित तंत्र शुरू किया जा रहा है जो सदस्यों और कंपनी के बीच दो-तरफा संचार के लिए समय-समय पर मिलते हैं, जिससे सदस्य शिकायतों का समाधान होता है।

• कर्मचारियों को व्यावसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए व्यवहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

कंपनी प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम पेश करती है जो सदस्यों के लिए आवश्यक हैं। ये कार्यक्रम उत्पादक सदस्यों को कंपनी के हिस्से के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने, उनकी डेयरी खेती प्रथाओं को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने, गुणवत्ता वाले इनपुट और बाजारों तक पहुंच कर उनकी कमाई और प्रदर्शन को बढ़ावा देने और उनके संचालन के लिए उनकी शासन उद्यम कुशलता से और प्रबंधन दक्षताओं को विकसित करने में सक्षम बनाते हैं।

नए उत्पादक सदस्यों को शामिल करने के लिए सदस्यों और संभावित सदस्यों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, सहायक और फील्ड कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण निम्न कार्यक्रम किये गए:

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या
आईबी और खरीद के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	1
वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम-कर्मचारी	1
सदस्यों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ प्रशंसा कार्यक्रम	102
ओरिएंटेशन प्रोग्राम- वीसीजी	50
ओरिएंटेशन प्रोग्राम- एमआरजी	4
निदेशक उन्मुखीकरण कौशल निर्माण कार्यक्रम	1
उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम सह गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	767
ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	5

VI. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन:-

इस रिपोर्ट की तारीख तक 31 मार्च, 2023 के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं है। नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

VII. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

VIII. शेयर पूंजी और सदस्यता:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 23 सितंबर, 2022 को आयोजित 5वीं वार्षिक आम बैठक में अधिकृत शेयर पूंजी को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया। 31 मार्च, 2023 तक इसके सदस्यों के रजिस्टर में 607.89 लाख रुपये दर्ज थे, जबकि 53400 सदस्य थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, इस रिपोर्ट की तारीख तक, नए सदस्यों के प्रवेश, सदस्यता रद्द करने और सदस्यों द्वारा शेयरों के आत्मसमर्पण के कारण, सदस्यों के रजिस्टर में 55708 सदस्य हैं।

IX. मतदान का अधिकार और एजीएम में उपस्थिति:-

कंपनी के लेखों के अनुसार, मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट पर आधारित होगा, बशर्ते कि सदस्य ने एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो। 31 मार्च 2023 को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में 53400 सदस्यों में से मतदान के अधिकार के प्रयोग के संबंध में, केवल 14193 सदस्य ही आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

31 मार्च 2023 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल किए गए कुल 10186 नए सदस्य कंपनी की 6वीं एजीएम में वोट देने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 के बाद 7878 सदस्यों को रद्द कर दिया गया

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, 55708 सदस्य कंपनी की छठी एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे।

X. निदेशक मंडल:-

a. 31/03/2023 को बोर्ड की संरचना:

क्र.सं	नाम	डी आई एन
1.	श्रीमती आरती राजपूत	08913495.
2.	श्रीमती रचना	08890979
3.	श्रीमती राधा	09332966
4.	श्रीमती राजकुमारी लोधी	09333069
5.	श्रीमती रामदेवी	09333070
6.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	09335491
7.	श्रीमती कंचन	09739299
8.	श्रीमती कीर्ति	09749897
9.	डॉ सौगत मित्रा	00541858
10.	डॉ. ओम प्रकाश सिंह	08379571

b. बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष 2022-2023 के दौरान, डॉ. सौगत मित्रा को 09 दिसंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में एक विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री सुनील कुमार शर्मा ने 29 मार्च, 2023 से विशेषज्ञ निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था।

श्रीमती उमा कांति पाल एवं श्रीमती कल्पना 23 सितंबर, 2022 को कंपनी के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। बोर्ड ने निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की।

श्रीमती कीर्ति और श्रीमती कंचन को 23 सितंबर, 2022 को आयोजित कंपनी की 5वीं एजीएम में कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

XI. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:-

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 के तहत आवश्यक है, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके। उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है; और

घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

इं) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया था और ये सिस्टम पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

XII. लेखा परीक्षक:-

मेसर्स एसएन धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं जिन्हें कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिटर रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत कंपनी, उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

XIII. लागत रिकॉर्ड:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधान के तहत निर्धारित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

XIV. ऑडिटर की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी:

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक हैं और किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

XV. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखापरीक्षा:-

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपतियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। अन्स्टैंट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षक पूरे वर्ष सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक लेखा परीक्षा करते हैं और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई।

XVI. मानव संसाधन: -

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन वाली कार्य संस्कृति और वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

XVII. सूचना प्रौद्योगिकी: -

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती है और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती है। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार करने, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने और इस तरह राजस्व बढ़ाने के लिए उचित तकनीक प्रदान करना है। हमारी कंपनी में आई टी हस्तक्षेप सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है। आईटी डेटा संग्रह, विश्लेषण और विजुअलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्णय लेने वालों को समय पर और सटीक जानकारी के साथ अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है।

XVIII. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय: -

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण:

(i) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग ए और बी वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: आय - शून्य; आउटगो - शून्य.

XIX. बोर्ड बैठक:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें विधिवत बुलाई गईं। जिसका विवरण निम्नलिखित है:

बैठक की तिथि	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
18 मई, 2022	10	8
08 जुलाई 2023	10	8
29 अगस्त, 2022	10	8
20 अक्टूबर, 2022	10	9
09 दिसम्बर, 2022	10	10
27 जनवरी 2023	11	10
20 मार्च 2023	11	10
27 मार्च 2023	11	9

XX. समिति की बैठकें

हितधारक संबंध समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए 25 मार्च, 2021 को एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था और 27 अप्रैल 2023 को आयोजित 29वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। समिति में शामिल हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्रीमती आरती राजपूत	अध्यक्ष
2	श्रीमती कीर्ति	सदस्य
3	डॉ. ओम प्रकाश सिंह	सदस्य

इस अवधि के दौरान, हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

XXI. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण: -

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं दिया है।

XXII. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस के आधार पर किये जाते हैं। कंपनी द्वारा प्रमोटर्स, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष, लेनदेन नहीं किया गया, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ ऐसा कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके या जिसे अधिनियम की धारा 188 के साथ पठित धारा 134 (3)(एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के संदर्भ में फॉर्म संख्या एओसी-2 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक हो।

XXIII. धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जा सकती है;

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

XXIV. जोखिम प्रबंधन नीति:-

कंपनी एक अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में तेजी से बदलाव के साथ काम करती है। ये परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले अवसरों और अनिश्चितताओं का मिश्रण लाते हैं। जोखिम प्रबंधन कंपनी के परिचालन ढांचे में अंतर्निहित है। व्यावसायिक जोखिम को संबोधित करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण व्यापक है और इसमें समय-समय पर समीक्षा, मूल्यांकन और प्रमुख जोखिमों की निगरानी और उनका शमन और प्रभावशीलता शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के अनुसार, बोर्ड द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन नियमित आधार पर जोखिम की पहचान करता है और उसकी निगरानी करता है और इसे नियंत्रित करने और कम करने के लिए प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करता है। कंपनी का मानना है कि जोखिम प्रबंधन से रिटर्न को अधिकतम करने में मदद मिलती है। नियमित जांच और मूल्यांकन से व्यावसायिक जोखिम का अधिकतम सीमा तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इस प्रकार समय रहते सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

XXV. जमा:-

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से संबंधित विवरण के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई जमा नहीं है।

XXVI. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, डिज़ाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री संबंधी कमज़ोरी नहीं देखी गई।

XXVII. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

XXVIII. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

धारा 18 की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की आवश्यकताओं के अनुपालन में। कंपनी अधिनियम, 2013 के 135 को समय-समय पर संशोधित कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है,

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट <https://www.balineemilk.com/category/policies/> पर उपलब्ध कराया गया है। समय-समय पर संशोधित कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है।

XXIX. सतर्क तंत्र:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम 2013 के नियम 6 और 7 के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

XXX. वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक:

<https://www.balineemilk.com/category/annual-return/>

XXXI. अन्य खुलासे

- ए) कोई भी कंपनी कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं बनी है या बंद नहीं हुई है।
- बी) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करेगा।
- ग) दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है जो कंपनी के व्यवसाय पर भौतिक प्रभाव डालती हो।

XXXII. सचिवीय मानक:

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

XXXIII. आभार:

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के सदस्यों, बिजनेस एसोसिएट्स और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान और समर्थन के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और सराहना व्यक्त करना चाहता है। आपके निदेशक इस अवसर पर प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए यूपीएसएलआरएम और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंधित लोगों के उत्साहपूर्ण सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करता है, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

दिनांक: 31 अगस्त, 2023

स्थान: झाँसी

SD/-

आरती राजपूत

डीआईएन: 08913495

अध्यक्ष

अनुबंध I

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी की सीएसआर नीति भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करने, "निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने" और स्वच्छता के लिए समर्पित है, यह आजीविका के अस्तित्व के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके लोगों और समुदायों की मदद करना चाहती है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है

3. वेब-लिंग प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

सीएसआर नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है

<https://www.balineemilk.com/category/Policies/>

4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

लागू नहीं

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

₹. 4,64,95,804/- (रुपए चार करोड़ चौंसठ हजार पंचानबे हजार आठ सौ चार मात्र)

7. (ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:

₹. 9,29,916/- (नौ लाख उनतीस हजार नौ सौ सोलह रुपये मात्र)

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

लागू नहीं

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

लागू नहीं

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ए)+(बी)-(सी)]

₹. 9,29,916/- (नौ लाख उनतीस हजार नौ सौ सोलह रुपये मात्र)

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि. (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
Rs. 9,29,916/-	NA	NA	NA	NA	NA

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

लागू नहीं

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	Item the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान.		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य.	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	NA	स्वच्छ भारत कोष, - मद (i) अनुसूची VII	NA	NA	NA	Rs. 929916/-	Yes	NA	NA
				कुल		Rs. 929916/-			

घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: लागू नहीं

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): रु. 9,29,916/-

(छ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.सं.	क्रमांक	विशेष राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	Rs. 929916/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	Rs. 929916/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो तो	Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि: [(iii)-(iv)]	Nil

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण: लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	पिछले वित्तीय वर्ष की संख्या	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वि धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी.	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू

						राशि (रुपये में)		
1								

10. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है:
नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें
वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई
ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं

क्र.सं.	संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	या संपत्ति का पिनकोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि की राशि	पंजीकृत इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण	मालिक का विवरण	की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	[संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]				सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो तो	नाम	पंजीकृत पता
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

11. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें:
लागू नहीं

दिनांक: 28 अगस्त, 2023

स्थान: झाँसी

SD/-

आरती राजपूत

डीआईएन: 08913495

SD/-

ओम प्रकाश सिंह

डीआईएन: 08379571

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैलेन्स शीट, समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों, के मामलों की स्थिति के अनुरूप है और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और उसका नकदी प्रवाह की स्थिति के अनुरूप है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) (एसए) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जो हमें इस अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि पर प्राप्त हुआ।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित पदा जाता है। इसमें कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं का पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेख, अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी -

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रुकावट उत्पन्न कर सकता है।

- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किए जा सकते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि "अधिनियम" की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि -
ए) हमने वे सभी सूचनार्य एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

सी) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।

इ) 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2023 को रिपोर्ट के अनुसार कोई भी निदेशक "अधिनियम" की धारा 164(2) अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक बी" को देखें।

(जी) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी है, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

एच) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के संदर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार -

1. कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। -वित्तीय विवरणों का नोट 29 देखें।
2. कम्पनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री निकट नुकसान था।-वित्तीय विवरणों का नोट 32 देखें।
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।-वित्तीय विवरणों का नोट 30 देखें।
4. ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाना जाता है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।-वित्तीय विवरणों का नोट 38 देखें।

बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे

लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी।

सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

5. ए) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभंश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया है और अधिनियम की लागू धारा 123 के अनुसार है।

बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतरिम लाभंश घोषित नहीं किया है और कंपनी द्वारा वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभंश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

6. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि संशोधित है, और 1 अप्रैल 2023 से कंपनी के लिए लागू है, इसलिए, कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक C" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या.: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN: 23087701BGWNL8816

स्थान: गुडगाँव

दिनांक: 28.08.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक अ

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए और वित्तीय विवरणों पर बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ-1 के तहत संदर्भित)

i) कम्पनी की अचल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में -

क. i) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ii). कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये रखा है।

ख. कम्पनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया था और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कम्पनी के पास संपत्ति के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है जहां कम्पनी पट्टेदार है, और पट्टा समझौते कम्पनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(c) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

घ. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(d) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

च. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान या 31 मार्च, 2023 तक कम्पनी के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने की कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(e) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ii) अ प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रत्येक वर्ग के माल के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।

बी हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii) कंपनी ने कोई निवेश, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और इसलिए आदेश के क्लॉज 3(iii)(a) to (f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत कोई लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही कोई ऐसी राशि है जो वर्ष के दौरान जमा मानी जाती है और इसके अलावा अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के अनुसार कंपनी के पास वर्ष की शुरुआत में कोई अनक्लेम्ड जमाराशि नहीं थी। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

अ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर, और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित, जैसा लागू हो, निर्विवाद वैधानिक बकाया है, आयकर में कुछ देरी को छोड़कर, आम तौर पर नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों को जमा किया गया है। इसके अलावा, इसके संबंध में देय

कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

हमें सूचित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर के लिए कोई भी दायित्व बकाया नहीं है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सैरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ix) ए हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

बी हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं हैं और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच में, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

इ हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix)

(e) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) ए हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई प्रिफरेंसिअल अलोटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) ए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी या धोखाधड़ी नहीं देखी गई है अथवा वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी के (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

सी जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) a से c के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है। चूंकि, कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) ए हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी हमने ऑडिट के तहत अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- (xvi) (ए) कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (बी) कंपनी ने आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार आरबीआई से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (बी) के प्रावधान हैं लागू नहीं हैं।
- (सी) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी ("सीआईसी") नहीं है।
- (डी) समूह में कोई सीआईसी नहीं है जो समूह का हिस्सा है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (डी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चूका दिया जाएगा।
- (xx) (ए) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी ने वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि में से बैलेंस शीट की तारीख तक अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार हमारी रिपोर्ट की तारीख तक निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित नहीं किया है। हालांकि, इस तरह के स्थानांतरण के लिए

समय अवधि, यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने, जैसा कि अधिनियम की धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के तहत अनुमति दी गई है, हमारी रिपोर्ट की तारीख तक समाप्त नहीं हुई है।

(बी) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में चल रही परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसे एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(बी) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(xxi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या.: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN:

स्थान: गुडगाँव

दिनांक: 28.08.2023

स्वतन्त्र अंकेक्षण के रिपोर्ट का अनुलग्नक - "बी"

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ -2(फ) के तहत संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को बलिनी दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व-

1. कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियाँ एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनार्थ समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

2. हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख-रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

3. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

4. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय-

5. एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

6. वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय

7. हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2023 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या.: 000050N/NS00045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN: 023087701BGWNLR3816

स्थान: गुडगाँव

दिनांक 28.08.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए और वित्तीय विवरणों पर बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ-3 के तहत संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 15 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2023 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या.: 000050N/N500045

विनेश जैन

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 087701

UDIN: 023087701BGWNL8816

स्थान: गुडगाँव

दिनांक: 28.08.2023

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2023

	Note No.	As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh
A. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
a. Equity share capital	3	807.89	359.57
b. Reserves and surplus	4	1,814.85	1,153.53
		<u>2,422.74</u>	<u>1,513.10</u>
2. Share application money pending allotment	39	32.23	12.92
3. Deferred grant	5	1,339.61	885.22
4 Non - current liabilities			
a. Long - term provisions	6	43.83	25.43
b. Other long-term liabilities	7	237.75	160.20
		<u>281.58</u>	<u>185.63</u>
5 Current liabilities			
a. Trade payables	8		
- Total outstanding dues of micro and small enterprises		39.66	0.35
- Total outstanding dues of other than micro and small enterprises		1,750.70	861.97
b. Other current liabilities	10	170.26	91.80
c. Short - term provisions	6	1.19	0.70
		<u>1,961.81</u>	<u>954.82</u>
Total		<u>6,037.97</u>	<u>3,551.69</u>
B. ASSETS			
1 Non - current assets			
a. Property, plant and equipment	11	1,335.68	795.49
b. Intangible assets	11A	5.71	9.58
c. Capital work-in-progress	11B	-	82.89
d. Deferred tax assets/(net)	12	11.36	7.35
e. Long-term loans and advances	13	16.28	14.66
f. Other non-current assets	18	0.17	0.36
		<u>1,369.20</u>	<u>910.33</u>
2 Current assets			
a. Inventories	14	266.86	129.51
b. Trade receivables	15	1,453.14	516.99
c. Cash and cash equivalents	16	2,112.06	1,851.73
d. Short term loans and advances	17	6.11	3.35
e. Other current assets	18	830.60	139.38
		<u>4,668.77</u>	<u>2,641.36</u>
Total		<u>6,037.97</u>	<u>3,551.69</u>

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050NN/S00045



Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701

Place: Gurugram
Date: 28 August 2023

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Arti Rajput

Chairman
DIN:08913465

Laxmi Devi

Director
DIN:09335491

Place: Jhansi
Date: 28 August 2023

Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN:08379957

Komal Madhyani
Company Secretary
PAN: BWDPMM073P

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112760
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2023

	Note No.	Year ended	Year ended
		31 March, 2023	31 March, 2022
		Rs./lakh	Rs./lakh
1. Revenue from operations	19	29,241.42	15,440.61
2. Other income	20	588.92	565.47
3. Total revenue (1+2)		<u>29,840.34</u>	<u>16,006.08</u>
4. EXPENSES			
a. Cost of material consumed	21	132.79	71.21
b. Purchase of stock-in-trade	22	25,722.89	13,287.93
c. Procurement expenses	23	1,239.86	836.67
d. Changes in inventories of finished goods	24	(135.17)	(39.50)
e. Finance costs	25	1.20	1.94
f. Employee benefits expense	26	338.27	221.27
g. Depreciation and amortisation expenses	27	0.96	0.96
h. Other expenses	28	1,611.96	836.74
Total expenses		<u>28,912.76</u>	<u>15,217.22</u>
5. Profit before tax (3-4)		927.58	788.86
6. Tax expense:			
a. Current tax		241.50	223.48
b. Deferred tax (credit)	12	(4.01)	(3.37)
c. MAT credit entitlement		-	(91.49)
Net tax expense		<u>237.49</u>	<u>128.62</u>
7. Profit for the year(5-6)		<u>690.09</u>	<u>660.24</u>
8. Earnings per equity share:			
(Nominal value Rs. 100 per share)	35		
a. Basic		160.43	294.74
b. Diluted		149.25	278.66

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 000050NN500045



Vinod Jain
Partner
Membership No. 087701

Place: Gurugram
Date: 28 August 2023

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Arti Raiout
Chairman
DIN:08913495

Laxmi Devi
Director
DIN:09335491

Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN:08379571

Komal Madhyani
Company Secretary
PAN: BWDPM4073P

Place: Jhansi
Date: 28 August 2023

BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2023

	Year ended 31 March, 2023	Year ended 31 March, 2022
	Rs./Lakh	Rs./Lakh
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit / (loss) before tax	927.58	788.86
Adjustments For :		
Interest Income	(82.34)	(45.47)
Finance cost	1.20	1.94
Depreciation	0.96	0.96
Operating profit / (loss) before working capital changes	847.40	746.29
Adjustments for movement in working capital:		
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Other long-term liabilities	77.55	21.86
Trade payables	926.04	335.00
Long-term provisions	18.40	11.79
Short term provisions	0.49	0.32
Other current liabilities	29.54	9.03
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(136.95)	(37.16)
Trade receivables	(936.15)	(180.41)
Long-term loans and advances	0.82	1.46
Short-term loans and advances	(2.76)	0.53
Other current assets	(2.83)	(0.68)
Other non-current assets	0.19	1.11
Cash from operations	823.54	809.26
Income tax paid (net)	(243.74)	(141.21)
Net cash flow from operating activities (A)	579.80	768.05
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Purchase of property, plant and equipment	(673.93)	(240.00)
Other bank balances not classified as cash and cash equivalent	(320.15)	(1,010.43)
Interest Income	83.14	31.05
Net cash flow used in investing activities (B)	(910.94)	(1,219.38)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Proceeds from issue of equity share capital	248.32	212.60
Share application money received	19.31	(11.51)
Dividend paid	(26.72)	(11.73)
Grant received	507.39	830.32
Finance cost paid	(1.20)	(1.94)
Interest earned on grant	0.12	10.17
Grant utilised for revenue expenditure	(473.90)	(494.73)
Net cash flow from financing activities (C)	271.32	533.18
Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	(99.82)	81.85
Cash and cash equivalents at beginning of the year	183.80	101.95
Cash and cash equivalents at the end of the year	123.98	183.80
Cash and cash equivalents comprises:		
Balances with banks:		
in current accounts	123.98	183.80
Cash and cash equivalents as per cash flow statement	123.98	183.80

See accompanying notes forming part of the financial statements

In term of our report attached

For S. N. Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants

Firm's Registration No. 000050N

Vinesh Jain
Partner
Membership No. 087701



Place: Gurugram
Date: 28 August 2023

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

जयश्री राठौर
Arti Raoush
Chairman
DIN:08913495

लक्ष्मी देवी
Laxmi Devi
Director
DIN:09335491

Place: Jhansi
Date: 28 August 2023

Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN:08379571

Komal Medhyani
Company Secretary
PAN: BWDPM4073P

1 Corporate Information

Balinee Milk Producer Company Limited (the Company) was incorporated on 24th January, 2019, under Part IXA of the Companies Act, 1956 with the main object to carry on the business of pooling, purchasing, processing of milk and milk products primarily of the members, to provide technical and managerial services in the area of breeding, feed/fodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The Company procures milk directly from milk producers through Milk Pooling Points (MPP) in villages of District Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur & Jabua and sells to dairies. The Company also trades in Cattle Feed.

2 Significant accounting policies

2.1 Basis of accounting

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (the New Act).

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and liabilities.

2.2 Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialise.

2.3 Cash flow statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'Cash Flow Statement', whereby profit/loss before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.4 Revenue Recognition

Sales are recognized net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

2.5 Other Income

Interest income on deposits and admission fees from members are recognized on accrual basis.



2.6 Property, Plant and Equipment and Intangibles

Property, plant and equipment and intangible assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment and intangible assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying property, plant and equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on property, plant and equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

Capital work-in-progress:

Projects under which tangible fixed assets are not yet ready for their intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

2.7 Depreciation and amortization

Depreciation on property, plant & equipment and intangible assets has been provided on straight line method as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under:

Description	Useful life
Plant and machinery	1 to 10 Years
Computer	3 Years
Furniture and fixtures	1 & 10 Years
Office equipment's	1 & 5 Years
Softwares	3 Years
Trademark	4 Years
Leasehold improvements	Over the lease term

Note:

Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

2.8 Inventories

Inventories comprises of trading good (milk). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out (FIFO) method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

2.9 Grants

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognized in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue government grants and subsidies are recognized as income over the periods necessary to match them with costs for which they are intended to compensate on a systematic basis.



2.10 Employee Benefits

Employee benefits includes Provident Fund, Gratuity and Leave Encashment.

i. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

ii. Defined Benefit Plans :

The Company's gratuity and leave encashment are considered as defined benefit plan. The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rate used for determining the present value of the obligation under defined benefit plans, is based on the market yields on government securities as at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

iii. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange of services rendered by employees is recognised during the year when the employees render the service. These benefits include salaries, wages, bonus and performance incentives which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short term compensated absences is accounted as under:

- in case of accumulated compensated absences, when employees render the services that increase their entitlement of future compensated absences; and
- in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

iv. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the Balance Sheet date less the fair value of the plan assets, if any out of which the obligations are expected to be settled.

2.11 Segment reporting

The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature of risks and returns and the internal organisation and management structure. The operating segments are the segments for which separate financial information is available and for which operating profit / loss amounts are evaluated regularly by the executive Management in deciding how to allocate resources and in assessing performance.

2.12 Earning Per Share:

The Company reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard, AS - 20, Earnings Per Share. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the result would be anti-dilutive.



2.13 Taxes on income

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1951, considering deduction available under section 80 PA of Income Tax Act, 1951 and other applicable tax laws.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

Deferred tax is recognised on timing differences, being the differences between the taxable income and the accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted as at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all timing differences. Deferred tax assets are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available against which these can be realised. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward of losses and items relating to capital losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income available to realise the assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the Company has a legally enforceable right for such set off. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date for their realisability.

2.14 Impairment of Asset

The carrying values of assets / cash generating units at each balance sheet date are reviewed for impairment if any indication of impairment exists.

If the carrying amount of the assets exceeds the estimated recoverable amount, impairment is recognised for such excess amount. The impairment loss is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss, unless the asset is carried at revalued amount, in which case any impairment loss of the revalued asset is treated as a revaluation decrease to the extent a revaluation reserve is available for that asset.

The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

When there is indication that an impairment loss recognised for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognised.

2.15 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed in the Notes. Contingent assets are not recognised in the financial statements.



2.16 Leases

Where the Company as a lessor leases assets under finance leases, such amounts are recognised as receivables at an amount equal to the net investment in the lease and the finance income is recognised based on a constant rate of return on the outstanding net investment.

Assets leased by the Company in its capacity as lessee where substantially all the risks and rewards of ownership vest in the Company are classified as finance leases. Such leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value and the present value of the minimum lease payments and a liability is created for an equivalent amount. Each lease rental paid is allocated between the liability and the interest cost so as to obtain a constant periodic rate of interest on the outstanding liability for each year.

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

2.17 Operating cycle

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

3 Equity share capital

	As at 31 March, 2023		As at 31 March, 2022	
	Number of shares	Amount Rs./lakh	Number of shares	Amount Rs./lakh
a. Authorised share capital				
Equity Shares of Rs. 100 each	7,00,000	700.00	5,00,000	500.00
b. Issued, subscribed and fully paid up share capital				
Equity Shares of Rs. 100 each	6,07,888	607.89	3,59,572	359.57

See notes (i) to (vii) below

Notes:

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100/- per share. Every member shall have a single vote, provided that the member has poured milk for at least 200 days totalling to at least 500 liters in a year.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. Reconciliation of number of equity shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year.

	Year ended 31 March, 2023		Year ended 31 March, 2022	
	Number of shares	Amount Rs./lakh	Number of shares	Amount Rs./lakh
Balance outstanding at the beginning of the year	3,59,572	359.57	1,48,967	146.97
Shares issued during the year	2,59,526	259.53	2,20,998	221.00
Shares cancelled/surrendered during the year	11,210	11.21	8,393	8.39
Balance outstanding at the end of the year	6,07,888	607.89	3,59,572	359.57

- iv. The Company is registered under part XXIA of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.

v. Shares held by promoters*

Name of promoter	As at 31 March, 2023		As at 31 March, 2022		% Change
	No. of Shares held	% Holding	No. of Shares held	% Holding	
1 Anjani Devi	13	0.002%	13	0.004%	-59.15%
2 Rajkumari Lodhi	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
3 Uma Kantil Pal	24	0.004%	24	0.007%	-59.14%
4 Aradhana Devi	13	0.002%	13	0.004%	-59.15%
5 Renu Singh	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
6 Santoshi Devi	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
7 Rajni	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
8 Weena	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
9 Savita Devi	75	0.012%	50	0.014%	-88.71%
10 Bilekha	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%
11 Sulekha Devi	10	0.002%	10	0.003%	-59.15%

* Promoters here means as defined in Companies Act 2013

- vi. As per Articles of Association of the Company, if board is satisfied that any member has failed to retain the qualification as a member, the board shall direct the member to surrender their shares to the Company at par value or such other value as determined by the Board. Surrendered equity share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold to members or otherwise cancelled as the Board thinks fit.
- vii. No share has been issued for a consideration other than cash/bank or bonus during the year or 5 years immediately preceding the financial year.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01408UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh
4 Reserves and surplus		
a. General reserve		
Opening balance	493.29	187.05
Add: Transferred from surplus in Statement of Profit and Loss	631.47	308.24
Closing balance	<u>1,124.76</u>	<u>493.29</u>
b. Surplus in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	660.24	318.00
Add: Profit for the year	690.09	660.24
Less:		
Final limited return to the member for the year ended 31 March, 2022 (Rs.6 per share)	28.77	11.76
Transferred to general reserve	631.47	308.24
Closing balance	<u>690.09</u>	<u>660.24</u>
	<u>1,814.85</u>	<u>1,153.53</u>
5 Deferred grant		
Balance at the beginning of the year	855.22	982.55
Capital grant utilised during the year (see note 5)	722.92	133.53
	<u>1,508.14</u>	<u>1,116.08</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	268.53	230.86
	<u>1,339.51</u>	<u>885.22</u>
Note:		
i. The grant received has been recognised as liability till the utilisation of the grant.		
6 Provisions		
a. Long term provisions		
i. Provision for gratuity	17.76	10.29
ii. Provision for compensated absence	26.07	15.14
	<u>43.83</u>	<u>25.43</u>
b. Short term provisions		
i. Provision for gratuity	0.33	0.19
ii. Provision for compensated absence	0.66	0.51
	<u>1.19</u>	<u>0.70</u>
7 Other long-term liabilities		
a. Security/ trade deposits	237.75	160.20
	<u>237.75</u>	<u>160.20</u>



BALNEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN/014891/P/2018/PTC/112789
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

8 Trade payables

	As at 31 March, 2023 Rs./Lakh	As at 31 March, 2022 Rs./Lakh
a. Total outstanding dues of micro and small enterprises (see note 17 below)	29.66	0.35
b. Total outstanding dues of other than micro and small enterprises	1,750.70	861.97
	<u>1,780.36</u>	<u>862.32</u>

Notes:

(i) Trade payables ageing schedule

As at 31 March, 2023	Outstanding for following periods					Total
	Unbilled (Accrual)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(a) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	29.66	-	-	-	29.66
(b) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	12.05	1,718.65	-	-	-	1,730.70
(c) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(d) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	<u>12.05</u>	<u>1,748.31</u>	-	-	-	<u>1,760.36</u>

As at 31 March, 2022	Outstanding for following periods					Total
	Unbilled (Accrual)	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(a) Total outstanding dues of micro and small enterprises	-	0.35	-	-	-	0.35
(b) Total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	129.47	732.50	-	-	-	861.97
(c) Disputed dues of micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
(d) Disputed dues of creditors other than micro and small enterprises	-	-	-	-	-	-
	<u>129.47</u>	<u>732.85</u>	-	-	-	<u>862.32</u>

Note: Ageing of trade payables has been determined from the transaction date

	As at 31 March, 2023 Rs./Lakh	As at 31 March, 2022 Rs./Lakh
--	-------------------------------------	-------------------------------------

(A) The above amount of trade payables also includes amount payable to its related parties (refer note 36).	0.28	0.14
(B) The disclosure of the amount outstanding to micro enterprises and small enterprises are as follows:		
a. The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of accounting year;	29.66	0.35
b. The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSME Act, 2008 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
c. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSME Act, 2008;	-	-
d. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year;	-	-
e. The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of discharge as a deductible expenditure under section 23 of the MSME Act, 2008;	-	-

The information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company and has been relied by the Auditors.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01400UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh
9 Unutilised grant		
a. Unutilised grant for operating/capital expenditure (see note Y below)	-	-
I. Grant for operating/capital expenditure		
Opening balance		
-Unspent grant		
-Grant recoverables	122.18	334.41
	122.18	334.41
Increase in grant liability / decrease in grant recoverable for		
Grant received during the year	507.39	630.32
Interest income on grant (see note 20)	0.12	10.17
	507.51	640.49
Utilisation of Grant		
Utilised for revenue expenditure (see note 20)	473.90	494.73
Utilised for capital expenditure (see note 5)	722.92	133.53
	1,196.82	628.26
Closing balance of Unutilised Grant	-	-
Closing balance of grant recoverable	811.49	122.18
Less: Amount recognised under other current assets (see note 18)	(811.49)	(122.18)
	-	-

ii. Terms of grant:

- a. Total sanctioned amount of grant is Rs. 4,088.42 lakhs.
- b. Term of grant is initially for a period of three years, commencing from 1 March, 2019 to 31 March, 2023.

c. Purpose of the grant:

The grant is to be specifically used for the objectives set out below. The objective is to develop dairy value chain in districts of Bundelkhand region of Uttar Pradesh namely, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalau, Jhansi, Lalitpur and Mauzanpur by organizing milk producer to form one member owned Milk producer company (MPC) which would ensure:

- Setting up a fair and transparent milk procurement systems and accurate and timely payment to the Milk producers directly in their saving bank account.
- Safeguarding the interest of dairy farmers by providing round the year access to organised market
- Strengthening the capacity of the proposed Milk producer company's stakeholders through education, training and other extension activities
- Arranging to provide technical input services in the areas of breeding nutrition care and management of milch animals to increase milk productivity for the benefits of members.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTG112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

d. Repayment of grant

Any funds lying unutilized including accrued, actual interest post expiry of the grant period shall be returned/ repaid to UP-SRLM within one month from the agreed date of closure by a prescribed mode notified at the time by officials of UP-SRLM.

iii. Grant utilisation

a. Grant for capital expenditure

The grant utilised for capital expenditure has been recorded as deferred grant (see note 5) which subsequently adjusted with the amortisation expenses of property plant and equipment acquired from the grant on systematic basis.

b. Grant for operating expenditure

The grant received for the specific expenditure has been recognised as liability till the utilisation of the grant, when the expenditure incurred the Company recognised corresponding income under 'Other income'.

iv. There are no unfulfilled conditions or contingencies attached to these grants which management expect not to fulfill.

v. The Details of grant received (net) till 31 March, 2023 are as follows:

Particulars	Amount Rs.lakh
Financial Year in which Grant is received:	
-2018-19	584.70
-2019-20	
-2020-21	
-2021-22	1,111.30
-2022-23	830.32
Total grant received till 31 March, 2023	<u>507.39</u> <u>3,033.71</u>

10 Other current liabilities

	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
	Rs.lakh	Rs.lakh
a. Statutory dues (Contribution to Provident fund, withholding taxes etc.)	14.08	6.93
b. Payable for property plant and equipment	124.36	75.49
c. Advances received from customers	31.74	9.35
d. Unpaid/unclaimed dividend	0.08	0.03
	<u>170.26</u>	<u>91.80</u>



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC-112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11 Property, plant and equipment

	Furniture and fixture		Plant and machinery		Computers and data processing units		Office equipment		Leasehold improvements		Total
	Rs./lakh		Rs./lakh		Rs./lakh		Rs./lakh		Rs./lakh		
Gross cost											
Opening balance	47.77		969.60		27.83		15.74		36.01		1,096.95
Additions	2.62		21.50		31.45		10.15		0.81		66.53
Disposals	-		-		-		-		-		-
Balance as at 31 March, 2022	50.39		991.10		59.28		25.89		36.82		1,163.48
Additions	18.94		753.14		13.25		16.98		-		802.31
Disposals	-		-		-		-		-		-
Balance as at 31 March, 2023	69.33		1,744.24		72.53		42.87		36.82		1,965.79
Accumulated depreciation											
Opening balance	20.62		104.13		14.07		1.52		4.40		144.74
Additions	15.06		175.22		17.11		5.42		10.44		223.25
Disposals	-		-		-		-		-		-
Balance as at 31 March, 2022	35.68		279.35		31.18		6.94		14.84		367.99
Additions	6.67		217.21		18.64		9.02		10.58		262.12
Disposals	-		-		-		-		-		-
Balance as at 31 March, 2023	42.35		496.56		49.82		15.96		25.42		630.11
Net carrying amount											
Balance as at 31 March, 2022	14.71		711.75		28.10		18.95		21.98		795.49
Balance as at 31 March, 2023	26.98		1,247.68		22.71		26.91		11.40		1,335.68

Note: 1. Property plant and equipment is funded by grant (see note 9).



BALNEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112750
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11A Intangible assets

	Software	Trademark	Total
	Rs./lakh	Rs./lakh	Rs./lakh
Gross cost			
Opening balance	21.00	3.84	25.44
Additions	2.17	-	2.17
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2022	<u>23.77</u>	<u>3.84</u>	<u>27.51</u>
Additions	3.50	-	3.50
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2023	<u>27.27</u>	<u>3.84</u>	<u>31.11</u>
Accumulated amortisation			
Opening balance	9.32	0.14	9.46
Additions	7.61	0.96	8.57
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2022	<u>16.93</u>	<u>1.10</u>	<u>18.03</u>
Additions	6.41	0.96	7.37
Disposals	-	-	-
Balance as at 31 March, 2023	<u>23.34</u>	<u>2.06</u>	<u>25.40</u>
Net carrying amount			
Balance as at 31 March, 2022	6.84	2.74	9.58
Balance as at 31 March, 2023	3.93	1.78	5.71

Note: The details of assets purchased from capital grant and included in the above schedule are given below:

	Software	Total
	Rs./lakh	Rs./lakh
Gross cost		
Opening balance	21.00	21.00
Additions	2.17	2.17
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2022	<u>23.77</u>	<u>23.77</u>
Additions	3.90	3.90
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2023	<u>27.27</u>	<u>27.27</u>
Accumulated amortisation		
Opening balance	9.32	9.32
Additions	7.61	7.61
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2022	<u>16.93</u>	<u>16.93</u>
Additions	6.41	6.41
Disposals	-	-
Balance as at 31 March, 2023	<u>23.34</u>	<u>23.34</u>
Net carrying amount		
Balance as at 31 March, 2022	6.84	6.84
Balance as at 31 March, 2023	3.93	3.93



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
 CIN:U01405UP2019PTC112780
 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

11B Capital work in progress

As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh
-	82.89
-	82.89

Notes:

a. Capital work in progress ageing schedule

As at 31 March 2023

	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	-	-	-	-	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

As at 31 March 2022

	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	61.74	-	1.15	-	82.89
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-
	61.74	-	1.15	-	82.89

(b) There are no projects in capital work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

(c) The details of assets purchased from capital grant and included in the above schedule are given below:

As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh
-	82.89
-	82.89

a. Capital work in progress



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN-U01409UP2019PTC112750
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31 March, 2023 Rs./lakh	As at 31 March, 2022 Rs./lakh				
12 Deferred tax assets (net)						
(i) Tax effect of items constituting deferred tax assets						
a. Provision for compensated absences and gratuity	1.33	7.27				
b. Drawings under section 2(22) of the Income Tax Act	-	0.08				
c. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	0.03	-				
	<u>11.36</u>	<u>7.35</u>				
(ii) Tax effect of items constituting deferred tax liabilities						
a. On difference between book balance and tax balance of fixed assets	-	-				
	<u>-</u>	<u>-</u>				
Net deferred tax asset	<u>11.36</u>	<u>7.35</u>				
Amount recognised in profit and loss	<u>4.61</u>	<u>3.37</u>				
13 Long term loans and advances						
Unsecured considered good (unless otherwise stated)						
a. Advance tax (net of provision)	16.28	14.04				
b. Loan to others	-	0.62				
	<u>16.28</u>	<u>14.66</u>				
14 Inventories						
a. Raw material	1.89	0.11				
b. Finished goods - Ghee	47.56	35.28				
c. Stock in trade						
- Raw bulk milk	204.55	82.16				
- Cattle feed	12.84	9.35				
	<u>217.39</u>	<u>91.52</u>				
	<u>266.86</u>	<u>129.91</u>				
15 Trade receivables						
Billed						
a. Secured, considered good	1,453.14	516.99				
b. Unsecured considered good	-	-				
c. Doubtful	-	-				
	<u>1,453.14</u>	<u>516.99</u>				
Allowance for bad and doubtful debts						
a. Secured, considered good	-	-				
b. Unsecured considered good	-	-				
c. Doubtful	-	-				
	<u>-</u>	<u>-</u>				
Trade receivables ageing schedule						
As at 31 March 2023						
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	1,452.87	0.27	-	-	-	1,453.14
(ii) Undisputed Trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	<u>1,452.87</u>	<u>0.27</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,453.14</u>
As at 31 March 2022						
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	516.99	-	-	-	-	516.99
(ii) Undisputed Trade receivables - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade receivables considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade receivables considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	<u>516.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>516.99</u>

Note: The above ageing is compiled from the date of transaction.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112769
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	Year ended 31 March, 2023 Rs.lakh	Year ended 31 March, 2022 Rs.lakh
19 Revenue from operations		
(a) Sale of products (see note 'Y' below)	29,241.42	15,440.61
Note:	29,241.42	15,440.61
Sale of products comprises:		
i. Manufacturers' (processed) goods		
a. Ghee	161.89	87.92
	161.89	87.92
ii. Traded goods		
a. Raw milk	28,611.00	14,918.37
b. Cattle feed	467.73	434.32
	29,078.73	15,352.69
Total	29,241.42	15,440.61
20 Other income		
a. Revenue recognised from grant utilisation	473.90	494.73
b. Interest income		
- On fixed deposits (see Note 'Y' below)	82.23	45.75
- On loans	0.11	0.28
c. Admission fee from members	10.44	6.46
d. Miscellaneous income	32.24	18.25
	598.92	565.47
Note:		
i. Interest income		
Interest income on fixed deposits	82.35	55.92
Less: Amount transferred to un-utilized grant (see note 9)	(0.12)	(10.17)
Interest income recorded in other income	82.23	45.75
21 Cost of material consumed		
Raw material		
a. Opening stock	0.11	2.44
b. Add: Purchases	134.57	68.88
	134.68	71.32
c. Less: Closing stock	1.80	0.11
	132.78	71.21
22 Purchases of traded goods		
a. Purchases of raw bulk milk	25,288.11	12,938.18
b. Purchases of cattle feed	424.78	348.75
	25,722.89	13,287.53



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01408UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

	Year ended 31 March, 2023	Year ended 31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
23 Procurement expense		
a. Freight inward	583.69	458.47
b. Pouter incentive	191.05	75.71
c. Sahayak Incentive	404.75	262.62
d. Chemical and consumables	60.36	39.57
	<u>1,239.85</u>	<u>836.37</u>
24 Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade		
a. Inventories at the beginning of the year		
Finished goods	38.28	33.50
Stock in trade	91.52	56.80
b. Inventories at the end of the year		
Finished goods	47.58	38.28
Stock in trade	217.38	91.52
Net decrease/ (increase) in inventories	<u>(135.17)</u>	<u>(38.50)</u>
25 Finance costs		
a. Interest on delay payment of income tax	1.20	1.94
	<u>1.20</u>	<u>1.94</u>
26 Employee benefits expense		
a. Salaries and wages	302.01	199.73
b. Contribution to provident fund	18.30	12.30
c. Gratuity expenses	7.91	5.84
d. Staff welfare expenses	10.05	3.40
	<u>338.27</u>	<u>221.27</u>
27 Depreciation and amortization expenses		
a. Depreciation on property, plant and equipment	262.12	223.25
b. Amortisation of intangible assets	7.37	8.57
	<u>269.49</u>	<u>231.82</u>
Less: Depreciation pertaining to assets acquired on grant (see note 5)	<u>(266.53)</u>	<u>(230.86)</u>
	<u>0.96</u>	<u>0.96</u>
28 Other expenses		
a. Distribution, freight and forwarding	822.79	320.00
b. Rent	34.38	26.62
c. Contractual manpower charges	234.45	175.31
d. Power and fuel expenses	138.34	73.76
e. Milk chilling expenses	95.94	72.66
f. Travelling and conveyance	90.53	54.29
g. Meeting and training expenses	30.59	29.04
h. Repair and maintenance - others	10.87	4.80
i. Legal and professional fees	14.83	5.28
j. Auditor's remuneration (refer note (i) below)	1.52	1.25
k. Printing and stationery	21.30	15.53
l. Corporate social responsibility (refer note 42)	9.30	-
m. Business promotion expenses	22.19	-
n. All technician expenses	30.32	19.55
o. Rate and taxes	2.85	2.05
p. Other processing charges	14.57	7.13
q. Miscellaneous expenses	37.09	29.47
	<u>1,611.56</u>	<u>836.74</u>
Note:		
i. Auditors' remuneration comprises:		
a. Statutory audit fee	1.19	0.82
b. Certification fee	0.13	0.13
c. Tax audit fee	0.36	0.30
	<u>1.62</u>	<u>1.25</u>



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01405UP2015PTC112760
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

- 29 The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its financial statements. Contingent liabilities Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- 30 There were no amount which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- 31 The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances) amount to Rs. 38.15 lakhs (previous year Rs. 337.10 lakhs)
- 32 The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
- 33 **Employee benefit plans**

Defined-contribution plans

The Company makes Provident Fund contributions which is defined contribution plan, for qualifying employees. Under the Schemes, the Company is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The contributions payable to these plans by the Company are at rates specified in the rules of the schemes.

The Company's contributions towards provident fund is charged to the Statement of Profit and Loss comprises:

	Year ended 31 March, 2023	Year ended 31 March 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Contribution towards provident fund and other funds	15.30	12.30

Defined-benefits plans

The Company offers its employees defined benefit plan in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plan is based on years of service and the employee's compensation (immediately before separation). The gratuity scheme covers all regular employees. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit" method. Gains and losses of changed actuarial assumptions are charged to the Statement of Profit and Loss.

The following tables sets out the status of the defined benefit scheme in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.

i. Changes in Present Value of Benefit Obligation

	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Present Value of Benefit Obligation at beginning of the year	10.48	5.01
Current Service Cost	6.51	4.29
Interest Cost	0.78	0.38
Benefit Paid	(0.30)	(0.98)
Actuarial Losses/(Gains)	0.62	1.17
Present value of obligations at the end of the year	<u>18.09</u>	<u>10.48</u>

ii. Fair value of Plan Assets

	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Fair value of plan assets at the end of the year	-	-

The scheme is unfunded, hence plan assets are Nil.

iii. Amount recognised in the Balance Sheet

	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Present Value of Benefit Obligation at end of the year	15.09	10.48
Fair Value of Plan Assets at end of the year	-	-
Net Liability recognized in Balance Sheet	<u>15.09</u>	<u>10.48</u>



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112760
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

iv. Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss	For the year ended	For the year ended
	31 March, 2023	31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Current Service cost	6.51	4.29
Interest cost	0.78	0.38
Expected Return on Plan Assets		
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	0.62	1.17
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	<u>7.91</u>	<u>5.84</u>

v. Balance Sheet reconciliation	As at	As at
	31 March, 2023	31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Net liability at the beginning of the year	10.48	5.51
Expenses as above	7.91	5.84
Payments	(9.30)	(0.98)
Net liability/(asset) at the end of the year	<u>18.09</u>	<u>10.48</u>

vi. Principal actuarial assumptions	As at	As at
	31 March, 2023	31 March, 2022
Discount rate	7.40%	5.80%
Expected salary escalations	7.00%	7.00%
Attrition rate	5% to 1%	5% to 1%
Expected return on plan assets	N.A.	N.A.
Mortality table used	ILM 2012-14 Ultimate	ILM 2012-14 Ultimate

The discount rate is based on prevailing market yields of Government of India securities as at the balance sheet date for the estimated term of obligation.

The estimate of future salary increases considered, takes into account the inflation, seniority, promotions, increments and other relevant factors.

vii. Liabilities at year end	As at	As at
	31 March, 2023	31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Non current	17.76	10.29
Current	0.33	0.19
	<u>18.09</u>	<u>10.48</u>



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

34 Lease commitments
Operating lease - As lessee

The lease rentals charged during the year for cancellable/non-cancellable leases relating to rent of building premises as per the agreements and maximum obligation on long-term non-cancellable operating leases are as follows:

	Year ended 31 March, 2023	Year ended 31 March, 2022
Lease rentals	Rs./lakh 34.36	Rs./lakh 26.62
Obligations on non-cancellable leases :-		
	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Payable not later than one year	6.05	5.86
Payable later than one year but not later than five years	1.01	6.03
Payable later than five years	-	-
	7.06	11.89

35 Earnings per equity share

	Unit	Year ended 31 March, 2023	Year ended 31 March, 2022
Net profit after tax	Rs./lakh	690.09	660.24
Weighted average number of equity shares outstanding during the period	Numbers	4,30,140	2,24,011
Nominal value per Equity Shares	Rupees	100	100
Basic earnings per share	Rupees	160.43	294.74
Weighted average number of equity shares outstanding	Numbers	4,30,140	2,24,011
Add: Effect of share application money	Numbers	32,230	12,920
Weighted average number of equity shares - for Diluted EPS	Numbers	4,62,370	2,36,931
Diluted earnings per share	Rupees	149.25	278.66

36 Disclosures as required by the Accounting Standard (AS) 18 – "Related Party Disclosures" are as below:

A. Name of the related parties and nature of relationship

Name of person	Nature of Relationship
Key Management Personnel:	
Om Prakash Singh	Chief Executive and Director
Sunil Kumar Sharma	Expert Director (from 26 November, 2021 to 29 March 2023)
Saugata Mitra	Expert Director (w.e.f 09 December, 2022)
Alok Kumar Gupta	Expert Director (w.e.f 25 November 2021)
Uma Kanti Pal	Director (upto 23 September, 2022)
Arjani Devi	Director (upto 25 September, 2021)
Sarita Devi	Director (upto 25 September, 2021)
Kalpna Devi	Director (upto 23 September, 2022)
Aarti Rajput	Director
Rachna	Director
Radha	Director (w.e.f 25 September, 2021)
Rajkumari Lodhi	Director (w.e.f 25 September, 2021)
Ramdevi	Director (w.e.f 25 September, 2021)
Laxmi Devi	Director (w.e.f 25 September, 2021)
Keerti	Director (w.e.f 23 September, 2022)
Kanchan	Director (w.e.f 27 September, 2022)



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

B. The nature and volume of transactions during the year with the above related parties are as follows:

Name of related party	Nature of transaction	For the year ended	For the year ended
		31 March, 2023	31 March, 2022
		Rs./lakh	Rs./lakh
Om Prakash Singh	Managerial remuneration	30.24	27.00
Anjani Devi	Sitting Fees	-	0.04
Sarita Devi	Sitting Fees	-	0.03
Uma Kanti Pal	Sitting Fees	0.02	0.08
Aarti Rajput	Sitting Fees	0.06	0.07
Rachna	Sitting Fees	0.04	0.06
Kalpna Devi	Sitting Fees	-	0.04
Radha	Sitting Fees	0.05	0.04
Rajkumari Lodhi	Sitting Fees	0.05	0.03
Ram Devi	Sitting Fees	0.06	0.04
Laxmi Devi	Sitting Fees	0.05	0.01
Keerti	Sitting Fees	0.04	-
Kanchan	Sitting Fees	0.04	-
Anjani Devi	Purchase of milk	-	0.25
Sarita Devi	Purchase of milk	-	0.50
Uma Kanti Pal	Purchase of milk	0.55	1.03
Aarti Rajput	Purchase of milk	0.67	0.40
Rachna	Purchase of milk	1.31	1.27
Kalpna Devi	Purchase of milk	0.08	0.20
Radha	Purchase of milk	0.03	0.29
Rajkumari Lodhi	Purchase of milk	0.43	0.29
Ramdevi	Purchase of milk	0.63	0.18
Laxmi Devi	Purchase of milk	1.23	0.43
Keerti	Purchase of milk	0.38	-
Kanchan	Purchase of milk	0.82	-
Om Prakash Singh	Reimbursement of expenses	2.04	1.10

C. Balance outstanding as at year end

	As at	As at
	March 31, 2023	March 31, 2022
	Rs./lakh	Rs./lakh
Trade payables	-	0.02
Uma Kanti Pal	-	0.06
Aarti Rajput	0.09	-
Rachana	0.02	0.01
Radha	0.01	0.03
Rajkumari Lodhi	0.06	0.02
Ramdevi	0.02	-
Keerti	0.05	-
Kanchan	0.03	-
Laxmi Devi	0.28	0.14



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01409UP2019PTC12780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

37 Disclosure of financial ratios

Particulars	Numerator	Denominator	As at	As at	Variance %	Reason for variance
			31 March 2023	31 March 2022		
a Current ratio	Current assets	Current liability	2.36	2.77	-14%	
b Debt equity ratio	Total debt	Equity shareholder's fund	NA	NA	-	
c Debt service coverage ratio	Net operating income	Total debt service	NA	NA	-	
i Return on equity ratio	Net income	Equity shareholder's fund	28.46%	43.63%	-35%	Note 1
d Inventory turnover ratio	Cost of goods sold	Average inventory	129.65	119.64	8%	
e Trade receivables turnover ratio	Net sales	Average trade receivables	29.68	36.18	-18%	
f Trade payables turnover ratio	Net purchases	Average trade payables	19.50	19.23	1%	
g Net capital turnover ratio	Net sales	Working capital	10.80	9.16	18%	
h Net profit ratio	Net profit	Net sales	2.36%	4.28%	-45%	Note 2
j Return on capital employed	Earning before interest and tax	Capital employed	22.75%	30.30%	-25%	Note 3
k Return on investment	Earning on investments	Average investments	NA	NA	-	

Working of the ratios

Basis of ratios	Year ended	Ratio	Year ended	Ratio
	31 March 2023		31 March 2022	
a. Current ratio				
Current assets	4,668.77	2.36	2,641.26	2.77
Current liability	1,661.81		954.62	
b. Debt Equity ratio				
Total debt (Long term debt+ Short term debt+ Capital lease obligation)	-		-	
Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	2,422.74		1,513.10	
c. Debt service coverage ratio	NA		NA	
d. Return on equity ratio				
Profit after tax (PAT)	690.09	28.48%	660.24	43.63%
Equity shareholder's fund (Share capital+ Reserves and surplus)	2,422.74		1,513.10	
e. Inventory turnover ratio				
Cost of goods sold	25,720.51	129.65	13,319.64	119.64
Average inventory (opening inventory+closing inventory)/2	198.39		111.33	
f. Trade receivables turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	29,241.42	29.68	15,440.61	36.18
Average trade receivables [(Opening debtors +Closing debtors) / 2]	965.07		426.79	
g. Trade payables turnover ratio				
Net Purchases (purchases - purchases returns)	25,857.46	19.50	13,356.81	19.23
Average trade payables [(opening trade payables+closing trade payables)/2]	1,326.34		694.67	
h. Net capital turnover ratio				
Net sales (Total sales - Sales return)	29,241.42	10.80	15,440.61	9.16
Working capital = Current assets - Current liabilities	2,706.96		1,696.54	
i. Net profit ratio				
Net profit	690.09	2.36%	660.24	4.28%
Net sales (Total sales - Sales return)	29,241.42		15,440.61	
j. Return on capital employed				
Earnings before interest and tax	928.78	22.75%	796.92	30.30%
Capital employed = Total assets - Current liabilities	4,076.16		2,696.67	
k. Return on investment	NA		NA	

Notes:

- During the current period, there has been an increase in equity due to the addition of new members and the issuance of shares to existing members. However, the profit has not increased in the same proportion, leading to a decline in the return on equity.
- During the current period, there has been a significant increase in revenue due to increased volume and prices as compared to previous year. However, the profitability has not increased in the same proportion, leading to a decline in the net profit ratio.
- During the current period, there has been an increase in capital employed. However, the profitability has not increased in the same proportion, leading to a decline in return on capital employed.



38 Other statutory information

- a. During the current financial year, company has not undertaken any transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 566 of Companies Act, 1956.
 - b. No penalties were imposed by the regulator during the year during the financial year ended 31 March, 2023.
 - c. The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income-tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income-tax Act, 1961). Further, there was no previously unrecorded income and no additional assets were required to be recorded in the books of account during the year.
 - d. During the current year company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium) to any other person(s) or entities, including foreign entities (intermediaries).
 - e. The Company has neither traded nor invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year ended March 31, 2023. Further, the Company has also not received any deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency or Virtual Currency.
 - f. There are no proceedings that have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended from time to time) (earlier Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988) and the rules made thereunder.
 - g. The Company have not received any fund from any person or entity, including foreign entity (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Company shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - h. The Company have not advanced or loaned or invested funds to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall:
 - (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
 - (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries
 - i. During the year, the Company does not have any working capital limit, hence not required to submit quarterly stock statement with the banks/financial institutions.
 - j. The Company has not made any further investments in any company, hence clause (37) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable on the Company.
 - k. No charge or satisfaction of charge is pending for registration with Registrar of companies.
 - l. The Company has not declared as willful defaulter by any banks, financial institution or any other lender.
- 39 As at 31 March 2023, the Company has received an amount of Rs. 32.23 lakhs towards share application money towards 32,226 equity share of the Company (As at 31 March, 2022 Rs. 12.92 lakhs towards 12,917 equity shares) at a premium of Rs. Nil (As at 31 March, 2022 Rs. Nil). The Company has sufficient authorized capital to cover the allotment of these shares. Pending allotment of shares, the amounts are maintained in a designated bank account and are not available for use by the Company. Subsequently, the Company has allotted the shares on 27 April 2023.
- 40 The disclosures as required under Accounting Standard AS-17 on Segment reporting are not required as the Company primarily deals in single business segment of trading of Milk and cattle feeds and operates in one geographical segment.
- 41 All assets and liabilities are presented as Current or Non-current as per criteria set out in Schedule II to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the company, its operations and realization, the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months. Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current/ Non-current classification of assets and liabilities.



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U81409UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

42 As per section 135 of the Companies Act, 2013 a company meeting the applicability threshold need to spend at least 2% of its average net profit for the immediately preceding three financial years on corporate social responsibilities (CSR) activities. The areas for CSR activities are eradicating hunger and malnutrition, promoting education, art and culture, healthcare, destitute care and rehabilitation, environment sustainability, disaster relief and rural development projects.

The CSR Committee has not been formed by the company as the Company is exempt from the requirement as per the Act. The Amounts were spent during the year on these activities which are specified in schedule VII of the Companies Act, 2013.

	Year ended 31 March, 2023 Rs./ thousands	Year Ended 31 March, 2022 Rs./ thousands
A. Gross amount unspent for the last year	-	-
B. Gross amount required to be spent by the company during the year	9.30	-
C. Amount spent by the company during the year		
a. Yet to be paid in cash	-	-
b. Paid in cash		
i. Swachh Bharat Kosh	9.30	-
	9.30	-

Details of CSR expenditure under section 135(5) of the Act in respect of other than ongoing projects:

Balance as at the beginning of the year	-	-
Amount required to be spent during the period	9.30	-
Amount deposited in a specified fund of Schedule VII of the Act with in 6 months	-	-
Amount spent during the year	9.30	-
Balance as at the closing of the year	-	-



BALINEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN:U01405UP2019PTC112780
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

43 The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 8 (i.e., 8%) per equity share of Rs. 100 each for the financial year ended 31 March, 2023. The dividend payment is subject to approval of members at the ensuing Annual General Meeting.

44 In the opinion of the Board of Directors, the assets other than property, plant and equipment, intangible assets have a realisation value in the ordinary course of business at least equal to the amounts at which they are stated.

45 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors
Balinee Milk Producer Company Limited

Arti Rajput
Arti Rajput

Chairman
DIN 08913495

Lazmi Devi
Lazmi Devi

Director
DIN 05335491

Om Prakash Singh
Om Prakash Singh
Director & Chief Executive
DIN-08379571

Komal Madhyani
Komal Madhyani
Company Secretary
PAN: BWDPM4073P



Place: Jhansi
Date: 26 August 2023

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन नं. U01409UP2019PTC112780

पंजीकृत कार्यालय: 1390, प्रथम मंजिल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला बालाजीपुरम, नंदनपुरा, झाँसी

उ.प्र.- 284003

ईमेल: info@balineemilk.com; टेलीफोन नंबर: 9305805395

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 6वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को होटल नटराज सरोवर, स्टेशन रोड, झाँसी- 284001 में दोपहर 12.00 बजे, निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2023 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:

"संकल्प लिया गया है कि, 31 मार्च 2023 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, एतदद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना एवं घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:-

"संकल्प लिया गया है कि, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के अर्जित लाभ में से रुपये 8/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), रुपये 100 के 607888 इक्विटी शेयरों पर पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 4863104 राशि अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा राशि का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित हैं।

3. श्रीमती आरती राजपूत (डीआईएन 08913495) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:-

"संकल्प लिया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती आरती राजपूत (डीआईएन 08913495) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पात्र होने के कारण, खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करती हैं अतः उन्हें फिर से नियुक्त किया जाता है।

4. श्रीमती रचना (डीआईएन 08890979) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के बावजूद खुद को

पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:-

"यह संकल्प लिया कि, श्रीमती रचना (डीआईएन 08890979) जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के बावजूद खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति श्रीमती निर्मला देवी (डीआईएन 10306584) को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. श्रीमती सुनीता देवी को कंपनी के बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना। निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सुनीता देवी (डीआईएन: 10302478) को एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

6. वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके बिना विचार करने और अनुमोदित करने के लिए:

"यह संकल्प लिया गया है कि, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से समक्ष रखा गया, को अनुमोदित किया गया।"

7. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 7,00,00,000/- (केवल सात करोड़ रुपये) 700000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 12,00,00,000 रुपये (बारह करोड़ रुपये) 12,00,000 (बारह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

आगे यह संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI द्वारा प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

“VI कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 12,00,00,000/- (बारह करोड़ रुपये) प्रत्येक 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के 1200000 (केवल बारह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।”

आगे संकल्प लिया गया कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, मुख्य कार्यकारी को इस संबंध में सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सके।”

निर्देशक मण्डल के आदेश से

SD/-

स्थान: झाँसी

ओम प्रकाश सिंह

दिनांक: 05.09.2023

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

नोटिस

1. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य हाथ उठाकर मतदान के साथ-साथ स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत पूरा करके, मुहर लगाकर और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएँ।
3. जिस सदस्य को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोटियो नंबर और सदस्य कोड उद्धृत करें।
5. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक खाता और पिन कोड के साथ अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात साल के भीतर संलग्न/दावा नहीं किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उक्त राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4) (सी) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती आरती राजपूत	पशुपालन	12वीं
श्रीमती निर्मला देवी	पशुपालन	10वीं
श्रीमती सुनीता देवी	पशुपालन	10वीं

निर्देशक मण्डल के आदेश से

SD/-

स्थान: झाँसी
दिनांक: 05.09.2023

ओम प्रकाश सिंह
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 07:

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत पूंजी 7 करोड़ रुपये है और इसकी जारी, सदस्यता और भुगतान की गई शेयर पूंजी 6,46,46,400/- रुपये (छह करोड़ छियालीस लाख छियालीस हजार और चार सौ मात्र) है। इसलिए, व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, कंपनी को अपनी भुगतान की गई शेयर पूंजी को 12 करोड़ रुपये तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 12 करोड़ रुपये तक बढ़ाना उचित समझा जाता है; और उस उद्देश्य के लिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उपयुक्त रूप से बदलने का प्रस्ताव है जैसा कि संलग्न नोटिस के आइटम नंबर 07 के संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड में बदलाव के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी आवश्यक है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ जापन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में इसकी तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदारों को उक्त समाधान में किसी भी तरह से संबंधित रुचि नहीं है। बोर्ड इस संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

बलिनो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को दोपहर 12:30 बजे होटल लेमन ट्री, स्टेशन रोड, झॉंसी-284001 (स्यगित आम सभा 01:30 बजे)

उपस्थित:

1	श्रीमती उमा कांति पाल	अध्यक्ष एवं शेरधारक
2	श्रीमती रचना	निदेशक और शेरधारक
3	श्रीमती कल्पना देवी	निदेशक और शेरधारक
4	श्रीमती आरती राजपूत	निदेशक और शेरधारक
5	श्रीमती राधा	निदेशक और शेरधारक
6	श्रीमती राजकुमारी लोधी	निदेशक और शेरधारक
7	श्रीमती रामदेवी	निदेशक और शेरधारक
8	श्रीमती लक्ष्मी देवी	निदेशक और शेरधारक
9	श्री ओम प्रकाश सिंह	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
10	श्री सुनील कुमार शर्मा	विशेषज्ञ निदेशक
9	श्रीमती कोमल मध्यानी	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती उमा कांति पाल ने अध्यक्षता का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसलिए, कंपनी सचिव श्रीमती कोमल मध्यानी ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 8686 इक्विटी शेयर रखने वाले 165 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 240109 इक्विटी शेयर रखने वाले 10886 शेयरधारक अपने प्रॉक्सी के माध्यम से प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम उपस्थित है।

सी. अध्यक्षता ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि कोरम मौजूद है।

डी. कंपनी सचिव ने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्षता ने कंपनी की पांचवी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों, निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्षता ने बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, पांचवी वार्षिक आम बैठक बुलाने का नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को वितरित किया जा चुका था, पढ़ा हुआ माना गया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष की निर्देश पर, कंपनी सचिव श्रीमती कोमल मध्यानी ने बैठक के एजेंडे के मदों को एक-एक करके उठाया:

बैठक में निम्नलिखित कार्य किये गये:

1. 31 मार्च 2022 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण और इस संबंध में निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना।

श्रीमती रेखा देवी (फोलियो नं.: 0008694) ने निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 5th AGM: 23.09.2022:1/2022-23

“संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2022 की ऑडिटेड बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।

श्रीमती शशि सचान (फोलियो नंबर 0008992) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना एवं घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:-

श्रीमती रजनी देवी (फोलियो नं.: 0017847) ने निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 5th AGM: 23.09.2022:2/2022-23

“संकल्प लिया गया कि, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के मौजूदा मुनाफे में से 8 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), वित्त वर्ष 2021 के लिए पूरी तरह से भुगतान किए गए 100 रुपये के 359572 इक्विटी शेयरों पर- 22 को एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।

श्रीमती छाया देवी (फोलियो नं.: 0017846) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती उमा कांति पाल (डीआईएन 08341571), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

श्रीमती संध्या (फोलियो नंबर: 0023303) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या. 5th AGM: 23.09.2022:3/2022-23

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती उमा कांति पाल (डीआईएन 08341571) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती कंचन (फोलियो नंबर 0012220) को निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती रेखा देवी (फोलियो नं.: 0023785) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती कल्पना (डीआईएन 08890954), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

श्रीमती अनिता देवी (फोलियो नं.: 0006408) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या. 5th AGM: 23.09.2022:4/2022-23

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, 4. श्रीमती कल्पना (डीआईएन 08890954) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति को श्रीमती कीर्ति (फोलियो नंबर 0006455) को निदेशक के रूप में नियुक्ति से भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अभिलाषा (फोलियो नंबर: 0011385) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

श्रीमती दीपमाला साहू (फोलियो नंबर: 0013770) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या. 5th AGM: 23.09.2022:5/2022-23

" संकल्प लिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से समझ रखा गया था और इसे अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती अनिता देवी (फ़ोलियो नं.: 0002106) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव पारित करना:

श्रीमती संध्या तिवारी (फ़ोलियो नंबर: 0004038) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 5th AGM: 23.09.2022: 6/2022-23

"संकल्प लिया गया कि अधिनियम के भाग XXI-ए के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम और जापन के लागू प्रावधान शामिल हैं और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी के साथ कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके और सीमा तक बदला जाएगा:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को बदला/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, बशर्ते कि कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन हों। उपरोक्त के बावजूद, यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है तो निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक नहीं हो पाती है, तो कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तारीख, समय और स्थान के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी। हालाँकि, स्थगित बैठक अध्यक्ष द्वारा मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाने के लिए कंपनी द्वारा एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में निर्णय लेगा।

हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंड से छूट दे सकता है।

आगे संकल्प लिया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

श्रीमती मिथला देवी (फोलियो नंबर: 0000481) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (फोलियो नं.:0002324) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

प्रस्ताव संख्या 5th AGM: 23.09.2022: 7/2022-23

संकल्प लिया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो (उस समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) लागू होने पर, कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 5,00,00,000 रुपये (केवल पांच करोड़ रुपये) 500000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 70,000,000 रुपये (सात करोड़ रुपये) 7,00,000 (सात लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 2,00,000 (दो लाख) इक्विटी शेयर 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

आगे संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI द्वारा प्रतिस्थापित करके बदल दिया जाएगा।

"VI कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 70,000,000 रुपये (सात करोड़ रुपये) है, जो 100 रुपये (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 700000 (केवल सात लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

आगे संकल्प लिया गया कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, मुख्य कार्यकारी को इस संबंध में सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है जो वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सके।"

श्रीमती रीना (फोलियो नं.: 0002735) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. बैठक में लेन-देन के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक: 20.10.2022

SD/-

स्थान: झाँसी

(अध्यक्षा)

Balinee Milk Producer Company Limited

Revenue Budget

S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 22-23	Actual FY 22-23	Proposed Budget FY 23-24
(I)	Milk Procurement Qty	(KGPD)	1,33,849	1,39,360	2,07,496
(II)	Revenue from Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	23,486.82	28,611.80	45,250.86
(III)	Producer Price	(Rs. in Lakhs)	20,620.00	25,175.76	39,718.99
(IV)	Sahayak Margin	(Rs. in Lakhs)	472.55	383.55	981.40
(V)	Logistic Cost	(Rs. in Lakhs)	1,287.49	1,381.73	2,193.91
(VI)	Other Milk Procurement Cost	(Rs. in Lakhs)	931.49	885.12	1,434.34
(VII)	Fixed Cost	(Rs. in Lakhs)	461.96	381.88	723.40
(VIII)	Profit/(Loss) from Milk Operation before Grant Support	(Rs. in Lakhs)	(286.66)	403.76	188.81
(IX)	Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	411.81	395.66	10.00
(X)	Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support	(Rs. in Lakhs)	125.15	799.62	198.81
(XI)	Revenue Expenses for PES Activities	(Rs. in Lakhs)	108.74	86.46	126.62
(XII)	(Deficit) -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	(108.74)	(86.46)	(126.62)
(XIII)	Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	78.04	78.04	-
(XIV)	Profit/(Loss) from PES Operations	(Rs. in Lakhs)	(30.70)	(8.42)	(126.62)
(XV)	Other income	(Rs. in Lakhs)	133.29	136.39	150.46
(XVI)	Profit/(Loss) before Tax	(Rs. in Lakhs)	227.74	927.58	222.65

Capex Budget

S.No.	Particulars	UoM	Budget FY 22-23	Actual FY 22-23	Proposed Budget FY 23-24
A	Milk Operation				
(I)	MFP SET UP COST	(Rs. in Lakhs)	22.00	26.93	-
(II)	CANS	(Rs. in Lakhs)	77.44	103.10	24.50
(III)	BMC	(Rs. in Lakhs)	78.00	156.95	-
(IV)	HO SET UP	(Rs. in Lakhs)	-	0.72	1.00
(V)	ICT	(Rs. in Lakhs)	29.17	25.99	19.10
(VI)	DPMCU	(Rs. in Lakhs)	242.00	362.51	202.50
(VII)	BMC Accessories	(Rs. in Lakhs)	-	-	3.25
(VIII)	AMCU	(Rs. in Lakhs)	6.60	14.65	1.80
(IX)	BMC set up cost	(Rs. in Lakhs)	16.50	27.02	42.69
(X)	ETP	(Rs. in Lakhs)	-	-	-
(XI)	Cluster Officer Set up	(Rs. in Lakhs)	3.30	5.05	0.64
(XII)	Marketing	(Rs. in Lakhs)	65.00	-	65.00
	Capex -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	540.01	722.92	360.48
(XII)	Capex Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	540.01	722.92	127.43
I	Total Capex	(Rs. in Lakhs)	540.01	722.92	360.48
II	Total Capex grant	(Rs. in Lakhs)	540.01	722.92	127.43
III	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	-	-	233.05

बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01409UP2019PTC112780

कार्यालय: 1390, पहली मंजिल, मौजा लहर गिर्द मोहल्ला बालाजीपुरम, नंदनपुरा, झांसी यूपी 284003

ईमेल: info@balineemilk.com

फार्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी फार्म

सदस्य का नाम:	ई-मेल:
	धारित शेयरों की संख्या:
पंजीकृत पता:	फोलियो नं

में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा नियुक्त करती हूँ:

क्र. स.	नाम	पता	ई-मेल	फोलियो स.	हस्ताक्षर

कंपनी की शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12.00 बजे होटल नटराज सरोवर पोर्टिको, रेलवे स्टेशन रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश 284001 अथवा किसी भी अन्य स्थान / समय पर होने वाली 6वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ।

में चाहती हूँ कि मेरी उपरोक्त प्रॉक्सी नीचे दिए गए बॉक्स में बताए गए तरीके से मतदान करे:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान	
		पक्ष में	विपक्ष में
1.	31 मार्च, 2023 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करना		

2.	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना एवं घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना।		
3.	श्रीमती आरती राजपूत (डीआईएन 08913495) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना		
4.	श्रीमती रचना (डीआईएन 08890979) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के बावजूद खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना		
5.	श्रीमती सुनीता देवी को कंपनी के बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना।		
6.	वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार करना और अनुमोदन करना।		
7.	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।		

•• बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के सामने उपयुक्त कॉलम में 'X' लगाना वैकल्पिक है। यदि आप किसी या सभी प्रस्तावों के सामने 'पक्ष में' या 'विपक्ष में' कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, तो आपका प्रॉक्सी उस तरीके से वोट करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे।

दिनांक सितंबर, 2023 किए गए।

अंशधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(प्रतिनिधि) के हस्ताक्षर

एक रुपये का
रेविन्यू टिकिट
लगाए।

नोट: ध्यान रहे कि प्रॉक्सि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रॉक्सि धारक (प्रतिनिधि) को कंपनी की सदस्य होना अनिवार्य है।

செய்தி இது வரையில் மீட்டர்

பொருள் பற்றியிருக்கிறது என்று

இந்த செய்தி மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

மீட்டர்

மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

18

19


மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர் மீட்டர்

20

वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल

होटल नटराज सरोवर सिविल लाईन्स, झाँसी



- * आम सभा स्थल पंजीकृत कार्यालय से लगभग 2 किमी की दूरी पर।
- * आम सभा स्थल रेल्वे स्टेशन से लगभग 1 किमी की दूरी पर।
- * आम सभा स्थल बस स्टैंड से लगभग 3 किमी की दूरी पर।

पंजीकृत कार्यालय

**1390, प्रथम तल, मौजा लहर गिर्द, बालाजीपुरम्
नन्दनपुरा, झाँसी (उ.प्र.) 284003**